भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2343

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

शिक्षा तक पहुंच को विस्तारित करने के उपाय

†2343. **श्री सौमेंदु अधिकारी**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आधिकारिक यूडीआईएसई+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में देश में स्कूल ड्रॉप-आउट दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने, स्कूली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार करने और स्कूल ड्रॉप-आउट को कम करने के लिए अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के नाते, सरकार का देश में विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय विकसित करने का विचार है, और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा अवसरों तक समान पहुंच को सीमित करने वाले पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर राज्यों में, आधुनिक तकनीक और स्मार्ट ट्यूशन सुविधाओं के उपयोग के संबंध में विद्यमान महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय और व्यापक क्षेत्रीय विषमताएं विकसित करने तथा समाप्त करने के लिए तैयार प्रस्ताव और की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) के अनुसार, वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ड्रॉपआउट दर निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्रारंभिक (कक्षा III से कक्षा V)	मिडिल (कक्षा VI से कक्षा VIII)	माध्यमिक (कक्षा IX से XII)
2024-25	2.3	3.5	8.2
2025-26	1.8	3.6	7.0

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा, स्टार्स और पीएम श्री जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और अतिरिक्त कक्षाओं, लड़कों/लड़कियों/सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालयों, पेयजल, बिजली, चारदीवारी, पुस्तकालय, आईसीटी और डिजिटल कक्षाओं जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) डेटाबेस से निर्धारित कमियों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता की योजना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार तथा उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में दर्शाए गए अनुसार वार्षिक आधार पर है। तत्पश्चात् इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों, पूर्व में स्वीकृत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति एवं बजटीय संसाधनों की

उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक प्रदान किए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है।

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए भी पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उनका सुदृढ़ीकरण, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उनका स्तरोन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क वर्दी, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है।

जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को ऐसे अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जो एनईपी 2020 की समस्त पहलों को प्रदर्शित अपने नजदीक के स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करेंगे।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के नाते, देश के बहुसंख्य स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियां विभिन्न कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्र नामांकन में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ी हुई आवश्यकता की वजह से उत्पन्न होती हैं। केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ): दिनांक 17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या नाम की एक बड़ी पहल शुरू की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर राज्यों सहित पूरे देश में शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एक साथ लाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) एनसीईआरटी के साथ समन्वय से अपनी ज़रूरतों के अनुसार मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में इन पहलों का उपयोग, निगरानी और आकलन करते हैं। पीएम ई विद्या में भारत सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी ज़रूरत के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) राष्ट्र का वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट प्रदान करता है, साथ ही सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज़्ड पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) भी प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों ने मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामाग्री निर्मित की है और योगदान दिया है, जिससे बहुभाषावाद संभव हुआ है। दीक्षा ऑफलाइन उन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है जहाँ इंटरनेट पहुँच सीमित या बिल्कुल नहीं है। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल कौशल लैब तक पहुँच प्राप्त है।
